(6)

अ0गो.–26

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0 / यू0एफ0एम0 / / 20..... दिनांक.....

प्रेषक :

कुल सचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी

प्रापकः

1. अनुक्रमांक.....
2. परीक्षार्थी का नाम.....
3. पिता का नाम एवं .....

   स्थाई पता.....
4. परीक्षा..... विषय..... प्रश्न-पत्र.....
5. प्रथम उत्तर पुस्तिका का क्रमांक..... द्वितीय उत्तर पुस्तिका का क्रमांक.....

6.(क) केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सूचित किया गया है कि आपने विश्वविद्यालय की वर्ष 20 की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है। विवरण निम्न प्रकार है।

(1) कक्षा परिप्रेक्षक/उड़ाका दल की संख्या :-

(2) केन्द्राध्यक्ष की आख्या :-

(3) परीक्षक की आख्या :-

(ख) उपर्युक्त आधार पर अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण विश्वविद्यालय नियमानुसार आपको क्यों न दण्डित किया जायें?

(ग) यदि आप अपने को दोषी नहीं समझते हैं तो लिखें कि किन परिस्थितियों में आपके ऊपर अनुचित साधन प्रयोग करने का अभियोग आरोपित किया गया है?

(घ) अपना स्पष्टीकरण, इस पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित करके पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्रसारित होने की तिथि से दस दिन के अन्दर भेज दिया जायेगा।

(ड) इसके इतिरिक्त भी, यदि कुछ कहना हो तो अलग से एक पृष्ठ पर लिखकर प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाये।

(घ) यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता तो यह मानकर निर्णय ले लिया जायेगा कि आपको उपर्युक्त आरोप के कुछ नहीं कहना है।

कृते कुलसचिव